उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर दिनांक 5-12-1987 को हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1987 की पंचम बैठक का कार्य-वृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:—

1-	श्री खान गुफरान ज़ाहिदी		अध्यक्ष
2-	श्री योगेश बंसल		सदस्य
3-	श्री परमात्मा प्रसाद सिंह		सदस्य
4-	श्रीमती उमा त्रिपाठी	सदस्य, विधान सभा	सदस्य
5-	श्री शैलेश कृष्ण	प्रशासक, नगर महापालिका	सदस्य
6-	श्री राम बाबू	विशेष सचिव (आवास) (सचिव आवास के प्रतिनिधि)	सदस्य
7-	श्री पी०के०मिश्रा	संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
8-	श्री एन०आर०वर्मा	टाउन प्लानर (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि)	सदस्य
9-	श्री ब्रज भूषण चतुर्वेदी	निदेशक (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो) (सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के प्रतिनिधि)	(मुख्य आमंत्री)
10-	श्री नागिन्दर सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
11-	श्री राम आसरे प्रसाद	संयुक्त आवास आयुक्त	सचिव

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्र०सं०	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 15-9-87 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पंचम/(1)/87	दिनांक 15-9-87 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 15-9-87 की अनुपालन आख्या।	पंचम/(2)/87	परिषद द्वारा दिनांक 15-9-87 को हुई बैठक में लिए गये निर्णयों के कार्यान्वियन से परिषद को अवगत कराया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि अपीली मामलों में नीति निर्धारण करने हेतु परिषद की अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत होगा।
3-	परिषद में एक अतिरिक्त विधि अधिकारी के पद का सृजन।	पंचम/(3)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दो वर्ष के लिए उ०प्र० न्यायिक सेवा के एक सिविल जज (वेतनमान 1250-2050) के स्तर के अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर कार्यहित में ले लिया जाय।
4-	दैनिक वेतन/मस्टर रोल कर्मचारियों को अनुग्रह धनराशि की अनुमन्यता।	पंचम/(4)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
14-	पंजीकरण खोलने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।	पंचम/(14)/87	परिषद व्दारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
15-	पंजीकरण धनराशि के अन्तर की धनराशि को जमा करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 31-1-88 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(15)/87	परिषद व्दारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
16-	हडको वित्त पोषित आवासीय योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु हडको व्दारा निर्धारित शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(16)/87	परिषद व्दारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
17-	हडको वित्त पोषित आवासीय योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु हडको व्दारा निर्धारित शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(17)/87	परिषद व्दारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन कियागया।
18-	हडको वित्त पोषित 3आवासीय योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु हडको व्दारा निर्धारित शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(18)/87	परिषद व्दारा प्रस्तुत प्रकरण को अवलोकित किया गया।
19-	हडको वित्त पोषित 2आवासीय योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु हडको व्दारा निर्धारित शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त कराने के सम्बन्ध में।	पंचम/(19)/87	परिषद व्दारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
20-	विभिन्न योजनाओं के भूमि अर्जन हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(20)/87	परिषद व्दारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
21-	योजना सं0-10 मेरठ के कब्जा प्राप्त भूमि पर विकास कार्य कराने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने सम्बन्ध में।	पंचम/(21)/87	परिषद व्दारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
22-	परिषद मुख्यालय के प्रांगण में कार शेड के निर्माण तिमंजिले भवन का विस्तार तथा जनसम्पर्क अनुभाग के भवन के विस्तार हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/(22)/87	परिषद व्दारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
23-	गुण नियंत्रण कोष्ठ हेतु खण्डीय स्टोर का निर्माण करने तथा प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(23)/87	परिषद व्दारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
24-	परिषद की योजनाओं के अन्तर्गत भवनों एवं भूखण्डों का नकद पद्धति पर आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(24)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन स्थानों पर सम्पत्ति का निस्तारण नहीं हो पाया है उन सम्पत्तियों का निस्तारण उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की प्रदेशन सम्बन्धी विनियमावली के नियम-28(1) के अन्तर्गत किया जायेगा।

1	2	3	4
25-	परिषद में दोहरी लेखा प्रणाली लागू किया जाना।	पंचम/(25)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
26-	परिषद के ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु वर्ष-1984 में बनायी गयी विनियमावली में संशोधन हेतु परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी।	पंचम/(26)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
27-	इन्दिरानगर विस्तार योजना, लखनऊ के अन्तर्गत वाह्य विद्युतीकरण के कार्यों हेतु विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(27)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
28-	30/31-3-87 मेरठ में हुए लाटरी ड्रा व्दारा प्रदिष्ट मध्यम आय वर्ग अल्प आय वर्ग एवं दुर्बल आय वर्ग भवनों के आवंटियों को राहत देने के संदर्भ में।	पंचम/(28)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
29-	परिषद में एक मुख्य वित्तीय परामर्शदाता (चीफ फाइनेन्शियल एडवाईजर) के पद का सृजन।	पंचम/(29)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
30-	मुख्यालय/डिजाइन खण्डों नान वर्किंग डिवीजन में कार्यरत अभियन्ताओं वास्तुविद् नियोजकों को विशेष भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(30)/87	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से सबल संस्तुति के साथ इस प्रस्ताव को शासन/ब्यूरो को भेजने हेतु निर्देश दिये।
31-	माल एवेन्यू योजना लखनऊ के अन्तर्गत रिक्त पाकेट पर आवास आयुक्त निवास का निर्माण कराने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/(31)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
32-	परिषद की योजना के अन्तर्गत प्रदिष्ट सम्पत्तियों का कब्जा समयान्तर्गत न लिये जाने के कारण देय विलम्ब शुल्क/रख-रखाव शुल्क के सम्बन्ध में।	पंचम/(32)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि पंजीकरण बयाने के अन्तर की धनराशि पर देय विलम्ब शुल्क को माफ करने हेतु जो सूची प्रस्तुत की गयी है उनमें स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को भी शामिल कर लिया जाये।
33-	परिषद अधिकारियों/ कर्मचारियों की चिकित्सा भत्ता रु० 35/-प्रतिमाह दिये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(33)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को सबल संस्तुति के साथ शासन/ब्यूरो को भेज दिया जाये।
34-	पंजीकरण धनराशि में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	पंचम/(34)/87	परिषद की अगली बैठक हेतु स्थगित।
35-	दण्ड व्याज माफी के सम्बन्ध में।	पंचम/(35)/87	परिषद की अगली बैठक हेतु स्थगित।
36-	कुछ नगरों में पंजीकरण समाप्त करने हेतु।	पंचम/(36)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
37-	मुख्यालय के प्रधान अनुभाग की पैट्रोल जीप सं०-यू०पी०एच०-9286 (1969 माडल) निष्प्रयोज्य के स्थान पर नयी जीप क्रय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/(37)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नयी डीजल जीप क्रय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
	38-स्वंय वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटियों को परिषद के कार्य पद्धति के कारण हो रही कठिनाईयों एवं किश्तों पर प्रदिष्ट संपत्ति के विरुद्ध अवशेष धनराशि एक मुश्त जमा करने पर छूट दिये जाने एवं संकल्प सं0-चतुर्थ/(8)/87 द्वारा लिये गये निर्णय को निरस्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(38)/87	परिषद की अगली बैठक हेतु स्थगित।
	39-डायमण्ड डेरी स्थित भवन सं0-29 को गेस्ट हाउस में परिवर्तित करने के संदर्भ में।	पंचम/(39)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	40-वित्तीय वर्ष-1987-88 की वर्तमान वित्तीय स्वीकृति।	पंचम/(40)/87	परिषद ने वित्तीय स्थिति का अवलोकन किया तथा वर्तमान आर्थिक कठिनाईयों से उबरने के लिए यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया कि परिषद शासन को इस बारे में विस्तारपूर्वक टिप्पणी भेजेगा जिस पर सचिव, नगर विकास माननीय मुख्य मंत्री जी से विचार विमर्श करने हेतु शीघ्रातिशीघ्र बैठक कराने का प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी भी माननीय मुख्य मंत्री जी के स्तर पर बैठक कराने हेतु अनुरोध करेंगे।
	41-कुर्सी रोड विस्तार योजना के सम्बन्ध में।	पंचम/(41)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि इस योजना की शेष भूमि को लेने के बारे में भी यथाशीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।
	42-वाराणसी की तुलसीपुर तथा पाण्डेपुर योजना में अधिग्रहीत भूमि का एक्सग्रेशिया भुगतान के सम्बन्ध में।	पंचम/(42)/87	परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में वाराणसी की योजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया और बढ़े हुए प्रतिकर का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र करने के निर्देश दिये गये।
	43-परिषद की कम्पाउन्डिंग तालिका को व्यवहारिक बनाने हेतु किये जाने वाले विनियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक की रिपोर्ट।	पंचम/(43)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया गया।
	44-परिषद के गैर अभियान्त्रिकीय तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को अन्य निगमों के समकक्ष वेतनमान देने के सम्बन्ध में।	पंचम/(44)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव को शासन/ब्यूरो संस्तुति के साथ भेजने के लिये निर्देश दिये गये।
	45-उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के संकल्प संख्या-पंचम(64)/86 अनुपालन में उक्त विनियमावली का प्रारूप।	पंचम/(45)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से परिषद की कर्मचारी कल्याण कोष योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।
	46-कुर्सी रोड विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बटहा सबोली के खसरा नं0-494, 495 व 497 को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(46)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में आवास आयुक्त तथा अध्यक्ष जी देख कर निर्णय ले लें।

1	2	3	4
47-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से <u>अन्य विषय:-</u>		
	1-उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के विश्राम गृहों/ अतिथि गृहों/ अतिथि गृहों में ठहरने के लिए पूर्व दरों में संशोधन के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश दिनांक 3-12-87 परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	पंचम/(47)/87	उ0प्र0आवास एवं विकास के विश्राम गृहों में ठहरने के लिए संशोधित दरों तथा इसकी शर्तों के बारे में आवास आयुक्त तथा अध्यक्ष व्दारा लिए गये निम्नलिखित निर्णयों का परिषद व्दारा अनुमोदन किया गया:- ''उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के विश्राम गृहों/अतिथि गृहों में ठहरने के लिए निर्गत आदेशों को संशोधित करते हुए एतद्व्दारा निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैं:- 1-<u>अर्हताएं</u>:- 1- परिषद के अध्यक्ष, आवास आयुक्त एवं परिषद के सदस्यगण। 2-परिषद के अतिथि। 3-परिषद के अन्य अधिकारी जो परिषद के कार्य से दौरे पर हों। 4-परिषद के कर्मचारी जो परिषद के कार्य से दौरे पर हों। 5-परिषद के अधिकारी जो व्यक्तिगत कार्य से ठहरें। 6-अन्य व्यक्ति। आरक्षण उपरोक्त वरीयता क्रम से ही उपलब्ध कराये जायेंगे। आगरा तथा बरेली में उपलब्ध विशेष सूट/ परिषद के उच्च अधिकारियों के लिए आरक्षित रखे जायगे। 2-<u>किराये की दर</u>:- क्र0सं0 1, 2, 3 तथा 4 रु07 प्रतिदिन के लिए क्र0सं0 5 के लिए 15रू0 प्रतिदिन क्र0सं0-6 के लिए 30रू0प्रतिदिन सात दिन से अधिक के लिये आरक्षण सामान्यत: नहीं दिया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष महोदय/आवास आयुक्त की विशेष अनुमति से उपरोक्त सामान्य से दुनी दर पर सात अतिरिक्त दिनों के लिए आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से आवंटन समय के विपरीत भी रहता है तो एक महीने के लिए उससे सामान्य देय दर की चार गुनी दर से किराया वसूल किया जायेगा। एक माह के बाद विश्राम गृह/अतिथि गृह स्वतः रिक्त माना जायेगा। तथा उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

1	2	3	4
			यह भी संकल्प लिया गया कि माननीय अध्यक्ष महोदय आवास आयुक्त एवं सचिव आवास परिषद विश्राम गृहों में जितने भी दिन ठहरते हैं उनसे मात्र सामान्य दर से ही किराया लिया जायेगा।
2-परिषद के संकल्पों का संकलन।		पंचम/(48)/87	परिषद के नीति विषयक संकल्पों को अनुभागवार वर्गीकरण कर संकलित किया जाए।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुए समाप्त की गयी।

पुष्टि की गयी

[signature]

अध्यक्ष

प्रेक्लीन-9-3-88